

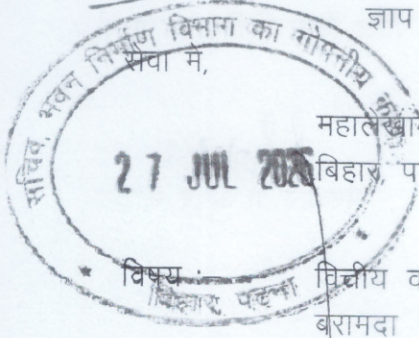
2040/4050/514

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

18843

22/7/26

ज्ञाप सं०-5/बजट (भ०नि०) 5-219/2026 -सा०-



महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।



पटना-15, दिनांक- 2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत समाहरणालय भवन लखीसराय के बरामदा में ग्रील, अल्युमिनियम स्लाईडिंग, बोरिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए कुल ₹14,21,300/- (चौदह लाख इक्कीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत समाहरणालय भवन लखीसराय के बरामदा में ग्रील, अल्युमिनियम स्लाईडिंग, बोरिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए कुल ₹14,21,300/- (चौदह लाख इक्कीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं० 12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी जाती है।

2. इस राशि के व्यय का विकलन बजट शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01- कार्यालय भवन-051-निर्माण-0104-समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण-सामान्य प्रशासन विभाग के लिये-53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषय शीर्ष, विपत्र कोड 03-4059010510104 मांग संख्या-03 के अन्तर्गत होगा।

3. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार से करेंगे।

4. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता के अद्यतन संशोधित नियमावली एवं बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाय। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 दिनांक 17.04.98 में निहित निदेश एवं बंधेज तथा एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्र के आलोक में की जायेगी।

7. यह राशि राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत है।

8. राशि के व्यय विवरणी यथाशीघ्र भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायगी।

9. इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 776 दिनांक 14.07.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुंगेर से तकनीकी अनुमोदित, प्राक्कलन के आधार पर दी गयी है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

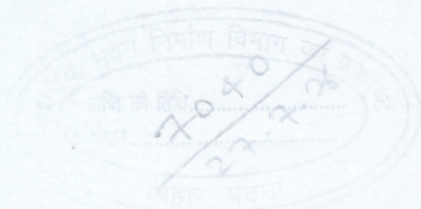
11. विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(संजय कुमार)

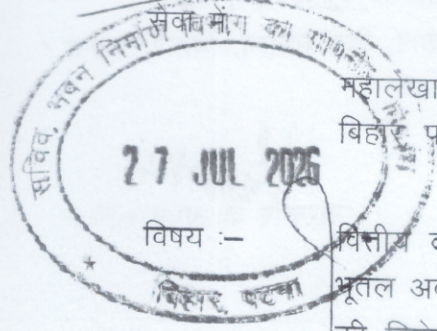
सरकार के अपर सचिव



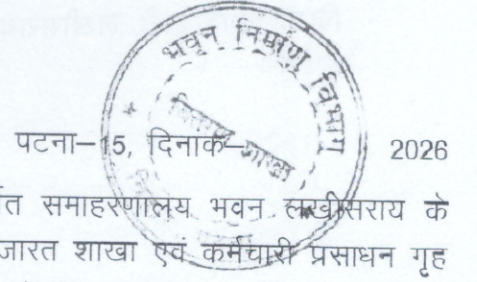
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

18842
१२/७/२६

ज्ञाप सं०-5/बजट (भ०नि०) 5-220/2026 -सा०-...../



महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।



विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत समाहरणालय भवन, लखीसराय के भूतल अवस्थित जिला विधि शाखा, अधीक्षक कार्यालय, नजारत शाखा एवं कर्मचारी प्रसाधन गृह की विशेष मरम्मत, रंग-रोगन एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए कुल ₹6,84,400/- (छः लाख चौरासी हजार चार सौ रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :-

यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत समाहरणालय भवन लखीसराय के भूतल अवस्थित जिला विधि शाखा, अधीक्षक कार्यालय, नजारत शाखा एवं कर्मचारी प्रसाधन गृह की विशेष मरम्मत, रंग-रोगन एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए कुल ₹6,84,400/- (छः लाख चौरासी हजार चार सौ रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं० 12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी जाती है।

2. इस राशि के व्यय का विकलन बजट शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01- कार्यालय भवन-051-निर्माण-0104-समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण-सामान्य प्रशासन विभाग के लिये-53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषय शीर्ष, विपत्र कोड 03-4059010510104 मांग संख्या-03 के अन्तर्गत होगा।
3. राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार से करेंगे।
4. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता के अद्यतन संशोधित नियमावली एवं बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
5. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाय। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।
6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 दिनांक 17.04.98 में निहित निदेश एवं बंधेज तथा एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्र के आलोक में की जायेगी।
7. यह राशि राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत है।
8. राशि के व्यय विवरणी यथाशीघ्र भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 774 दिनांक 14.07.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुंगेर से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दी गयी है।
10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव



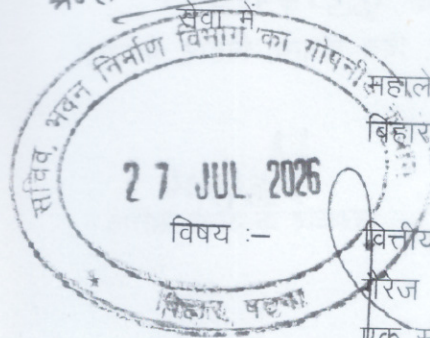
बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

30/10/2025/ETM

ज्ञाप सं०-5/बजट (भ०नि०) 5-217/2026 -सा०-

6841
21/7/16



महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-15/7/2026

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत समाहरणालय परिसर लखीसराय में गैरेज का जीर्णोद्धार से संबंधित कार्य के लिए कुल ₹11,25,100/- (ग्यारह लाख पच्चीस हजार एक सौ रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :-

स्वीकृत।

यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत समाहरणालय परिसर लखीसराय में गैरेज का जीर्णोद्धार से संबंधित कार्य के लिए कुल ₹11,25,100/- (ग्यारह लाख पच्चीस हजार एक सौ रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं० 12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी जाती है।

- इस राशि के व्यय का विकलन बजट शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01- कार्यालय भवन-051-निर्माण-0104-समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण-सामान्य प्रशासन विभाग के लिये-53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषय शीर्ष, विपत्र कोड 03-4059010510104 मांग संख्या-03 के अन्तर्गत होगा।
- राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार से करेंगे।
- सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता के अद्यतन संशोधित नियमावली एवं बिहार वित्त संशोधन नियमावली, 2005 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
- योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाय। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत निर्धारित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।
- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 दिनांक 17.04.98 में निहित निदेश एवं बंधेज तथा एतद् संबंधी वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य परिपत्र के आलोक में की जायेगी।
- यह राशि राज्य योजना स्कीम के अन्तर्गत है।
- राशि के व्यय विवरणी यथाशीघ्र भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- इस योजना की प्रशासनिक अनुमोदन जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 765 दिनांक 14.07.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुंगेर से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दी गयी है।
- स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव

